परिपत्र संख्या 06/2019

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।

क्रमांक- एफ-7(42)जन/विविध/2019/6422 दिनांक- 07-03-2019

परिपत्र

प्रायः उपपंजीयक कार्यालयों में प्राईवेट कार्मिक रखे जाने, अनाधिकृत कम्प्यूटर आपरेटर रखे जाने की शिकायतें प्राप्त होती है साथ ही सुचना सहायकों से ई–पंजीयन का कार्य नहीं कराया जा रहा है। विभाग द्वारा पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है कि जिन पूर्ण कालीन उपपंजीयक कार्यालयों में सुचना सहायक का पदस्थापन हो चुका है वहां कम्प्यूटर आपरेटर की सेवायें नहीं ली जावें।

सुचना सहायक के पदस्थापन होने पर ई–पंजीयन का कार्य सुचना सहायक से ही कराया जावें एवं अनाधिकृत कम्प्यूटर आपरेटर नहीं रखे जावें। भविष्य में यदि किसी कार्यालय में सुचना सहायकों से ई–पंजीयन का कार्य नहीं कराने अथवा अनाधिकृत कम्प्यूटर आपरेटर रखे जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित उपपंजीयक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर।

क्रमांक :– एफ.7(42)जन/विविध/2019/6423-6554 दिनांक :– 07-03-19

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग जयपुर।
2. समस्त उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान ....।
3. समस्त पूर्णकालीन उपंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान......................................।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर।